न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
32/2025	26.06.2025	25-5-2026

राजेन्द्र पुत्र प्रहलाद, ब्राह्मण निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी हाल निवासी मकान नम्बर 28/282 रामसागर पाडा, हनुमान मंदिर गली रायपुर, छत्तीसगढ पिन 4920201

––प्रार्थी

बनाम

सरकार लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम राजेन्द्र शर्मा है। गावं मे प्रार्थी को उसके घर के बोलता नाम मुन्ना से भी जाना जाता है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के उपरांत जो राजस्व रिकॉर्ड सम्बधित कागजात तैयार हुए उनके प्रार्थी के सही व वास्तविक नाम के स्थान पर मुन्ना पुत्र प्रहलाद गलती से इन्द्राज हो गया जबकि राजेन्द्र पुत्र प्रहलाद अंकित होना चाहिए था। प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजो मे राजेन्द्र शर्मा पुत्र प्रहलाद शर्मा ही दर्ज है। उक्त दस्तावेजों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे भी प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र प्रहलाद दर्ज किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख0न0 3711, 3712, 3713 कुल रकबा 0.42 है0 एवं ख0न0 1409, 1412, 1414, 1442 कुल रकबा 0.78 है0 ग्राम उदेईकलॉ मे है जिनमे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के उपरांत विरासत के नामान्तकरण मे प्रार्थी का बोलता नाम मुन्ना पुत्र प्रहलाद सहवन से दर्ज हो गया है जो गलत होने के कारण दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 3711, 3712, 3713 कुल रकबा 0.42 है0 एवं ख0न0 1409, 1412, 1414, 1442 कुल रकबा 0.78 है0 ग्राम उदेईकलॉ प्रार्थी का नाम मुन्ना पुत्र प्रहलाद के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र प्रहलाद दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकॉपी आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, अंकतालिका फोटोकॉपी रिपोर्ट प्रशासक ग्राम पंचायत उदेईकलॉ दिनांक 2.6.2025, नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 363, 555

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

प्रस्तुत किये है। इसके अतिरिक्त प्रशासक ग्राम पंचायत उदेईकलॉ की मूल रिपोर्ट दिनांक 2.6.2025 भी प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से उनके पत्र क्रमांक राजस्व/2025/1829 दिनांक 08.09.2025 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ पटवारी हल्का उदेईकलॉ की रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

बहस विद्धान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्धान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करने हुए प्रार्थी का नाम शुद्ध करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से प्राप्त रिपोर्ट एवं दस्तावेजात के अनुसार वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी का नाम मुन्ना पुत्र प्रहलाद दर्ज है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र प्रहलाद दर्ज है। प्रशासक ग्राम पंचायत उदेईकलॉ द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 2.6.2025 के अनुसार राजेन्द्र शर्मा व मुन्ना दोनो एक ही व्यक्ति है। फलस्वरूप प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 363, 555 ग्राम उदेईकलॉ मे दर्ज नाम मुन्ना पुत्र प्रहलाद हि0 1/4 जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र प्रहलाद हि0 1/4 जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार दर्ज करने का एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि करने का आदेश दिया जाता है। इन खातों में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25-5-26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) सत्यमेव जयते

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)